



# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228059, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: rmisc.supply2@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmisc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. 04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2020/918 दिनांक : 05/08/2020

## कार्यालय आदेश

M/s Sara Healthcare Pvt. Ltd, DSM-263, DLF Towers, Shivaji Marg, New Delhi-110015 को सर्जिकल/सूचर्स की निविदा क्रमांक F.02(55)/RMISC/PROCUREMENT/S&S (Non Drug)/NIB-04/2018/128 दिनांक 03.04.2018 के तहत Surgical Cap Disposable (For Surgeons) (code no. S86.a) के क्रयादेश क्रमांक 3630 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा 73000 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 356 दिनांक 04.05.2020 के द्वारा 150000 मात्रा 45 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे।

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त सर्जिकल Surgical Cap Disposable (For Surgeons)(code no. S86.a) के लिए जारी क्रयादेशों के विरुद्ध आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को पत्रांक 730 दिनांक 09.07.2020 द्वारा नोटिस जारी किया गया। उक्त सर्जिकल Surgical Cap Disposable (For Surgeons)(code no. S86.a) COVID-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु अति-आवश्यक है। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक 04.08.2020 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से Surgical Cap Disposable (For Surgeons) (code no. S86.a) के दो क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी सर्जिकल की दी गई मात्रा के अनुसार आपूर्ति नहीं की गई है, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 14(18) के अनुसार निर्माता फर्म M/s Sara Healthcare Pvt. Ltd, DSM-263, DLF Towers, Shivaji Marg, New Delhi-110015को सर्जिकल आइटम Surgical Cap Disposable (For Surgeons) (code no. S86.a) के लिये यह आदेश जारी करने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है तथा उक्त सर्जिकल कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु अति आवश्यक है, अतः उपापन शाखा द्वारा उक्त सामग्री अन्य सप्लायर से क्रय करने हेतु निविदा की शर्त संख्या 14(9) के अर्न्तगत रिस्क एण्ड कॉस्ट की कार्यवाही कर सामग्री का उपापन किया जावे। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(डॉ. प्रीतम बी. यशवन्त)  
आई.ए.एस.  
प्रबन्ध निदेशक



क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/2020 918

दिनांक : 05/08/2020

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
4. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
6. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
7. Drug Controller General (India) New Delhi
8. औषधि नियंत्रक राजस्थान/नई दिल्ली।
9. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/वित्त/लॉजिस्टिक्स), आरएमएससीएल जयपुर।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेंट) को भेजकर लेख है कि उक्त सामग्री अन्य सप्लायर से क्रय करने हेतु निविदा की शर्त संख्या 14(9) के तहत रिस्क एण्ड कॉस्ट की कार्यवाही कर सामग्री का उपापन किया जावे।
11. कार्यकारी निदेशक (वित्त)/कनिष्ठ लेखाकार, गुणवत्ता नियंत्रण (भुगतान) को भेजकर लेख है कि फर्म की सिक्योरिटी डिपोजिट/Performance Security/Bank Guarantee/व अन्य भुगतान उक्त फर्म के रिस्क एण्ड कॉस्ट की राशि की वसूली के उपरान्त ही किये जावे।
12. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
14. M/s Sara Healthcare Pvt. Ltd, DSM-263, DLF Towers, Shivaji Marg, New Delhi-110015
15. गार्ड फाईल

विशेषाधिकारी  
आर.एम.एस.सी.